

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

साधुरी देवी वगैरह बनाग कल्याणी देवी वगैरह

क्र.सं./तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम. 73 / 2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी तमाड के अप्राथमिकी सं० 21/18 दिनांक 27-5-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि आपस में हान्यापार्थक्य एवं मारपीट होने की लेकर उभय पक्ष में तनाव है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं मायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उन्से प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बंध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 22-06-18 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>(Signature)</i></p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>(Signature)</i></p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> </div> </div>	
22-06-18	<p>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थापित द्वितीय पक्ष क्रमांक 01, 03 उपस्थापित क्रमांक 02 अनुपस्थापित। दिनांक 02-07-18 की शर्तें।</p> <p align="right"><i>(Signature)</i> 22/6/18</p>	

क्रमांक 01, 02 अधिवक्ता दायरी / द्वितीय पत्र
की जोर से जमान दायरिया किया गया।
प्रथम पत्र गवाही हेतु गवाह उपस्थित की।
दिनांक 21-12-18 को रहे।


03/12/18

21-12-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र उपस्थित
द्वितीय पत्र द्वितीय पत्र क्रमांक 01 उपस्थित
क्रमांक 02, 03 अधिवक्ता दायरी / प्रथम पत्र
की जोर से गवाही माधव पुरान से परीक्षण
रूप उपस्थित किया गया तथा गवाही से
मुक्त किया गया। प्रथम पत्र गवाही हेतु
दिनांक 21-01-19 को रहे।


21/12/18

21-01-19

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
उपस्थित द्वितीय पत्र क्रमांक 03 उपस्थित
अन्य अधिवक्ता / इन्त वाद में 6 (6:)

(6)

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

माह की अवधि पूरी हो चुकी है
अर्थात् वाह कालबाधित हो गया है
अतः वाह को अगिलेख की कारवाही
बन्द की जाती है।


21/11/17